P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9443
Periodic Research

अलवर शहर में बाल श्रमिकों का शोधपरक अध्ययन

रणजीत सिंह बुडानिया
अतिथि व्याख्याता,
भूगोल विभाग,
राजकीय लोहिया महाविद्यालय,
चूरू

सारांश

उपर्युक्त कथन से यह तात्पर्य है, कि भारत का भविष्य बच्चों में निहित है। बच्चे किसी देश के भावी संसाधन और उसका भविष्य होते है, बच्चे देश के कर्णधार और परिवार की धरोहर हैं, परन्तु निरन्तर कल्याणकारी योजनाओं, विधि निर्माण प्रशासनिक कार्य के उपरान्त भी आज हमारे देश में बडी संख्या में बच्चे अपने भविष्य को भूल कर बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं।

मुख्य शब्द : बालश्रमिक, अलवर शहर

प्रस्तावना

बालश्रम का अर्थ एवं परिभाषाः

1. **अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार,**"कोई बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है और वह किसी उत्पादन कार्य में लगा हुआ है," वह बालश्रमिक कहलाता है।
2. **कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार,** "14 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने से पूर्व जिन बालकों को किसी उद्योंग या रोजगार में लगाया जाता है वे बालश्रमिक की श्रेणी में आते हैं।

बालश्रम की कुप्रथा किसी भी राष्ट्र के लिए नासूर से कम नहीं होती । यह हमारी विडंबना है कि हम विश्व में अधिकतम बालश्रमिकों की संख्या वाले कुछ देशों में से एक है। देश ही नहीं पडोसी देश नेपाल से प्रतिवर्ष बच्चे 'ट्रैफिकिंग' के घृणित अपराध के जरिये भारत में लाए जाते हैं और बालश्रम मे झोंक दिए जाते हैं। यही नहीं तस्कर उन्हें दुनिया के अन्य देशों में भी बंधुआ मजदूरी के लिये ले जाते है। बालश्रम दरअसल एक प्रथा या रोजगार का साधन मात्र नहीं है। यह एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है जिसकी जड़े हमारी व्यवस्था में गहरी पैठ बना चुकी है। निर्धनता, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, परिवारों का बडा आकार, कुछ ऐसे कारण हैं जो बालश्रम उन्मूलन के रास्ते मे आडे आते हैं। कई बच्चों वाले निर्धन परिवारों के सामने अपनी जीविका चलाने के लिए अपने मासूम बच्चों से काम करवाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता । परिवार के लिए रोटी जुटाने की मजबूरी ऐसे मजबूर बच्चों को उनके बचपन से मीलों दूर ले जाती है।

कल–कारखानों घरों, ढाबों व अन्य स्थलों पर कठोर श्रम करते हुए ये बच्चे शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन यहां तक कि स्वस्थ जीवन से भी वंचित हो जाते हैं। उनके अभिभावकों का उद्देश्य उन्हें बचपन में ही हुनरमंद बनाकर परिवार का सहारा बनाना होता है, मगर ऐसे अभिभावक स्वयं अपने हाथों से अपने बच्चों को मजदूरी के दलदल में धकेल उन्हें जीवनभर के लिए मजबूर कर देते हैं।

शोध कार्य के उद्देश्य

1 अध्ययन क्षेत्र में बालश्रमिकों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करना।
2 अध्ययन क्षेत्र में बालश्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना।
3 बालश्रमिकों सम्बन्धित कानुनी प्रावधानो का अध्ययन करना।
4 अध्ययन क्षेत्र में बालश्रमिकों से उत्पन समस्याओं और भावी विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ।

शोध कार्य की परिकल्पनाए

1 अध्ययन क्षेत्र में जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन परिवारों मे बालश्रमिकों संख्या अधिक पाई जाती है।
2 जिन परिवारों में बच्चों के माता–पिता अशिक्षित है या उनकी शिक्षा का स्तर प्राथमिक तक है, उन परिवारो मे बालश्रमिकों का प्रतिशत अधिक हैं।
3 अध्ययन क्षेत्र में बढ़ते नगरीयकरण और औधोगिकरण के कारण बालश्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

विधितन्त्र एवं आकडों का संकलन

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिंक व द्वितीयक दोनो प्रकार के आकड़ों का प्रयोग किया गया हैं, प्राथमिक आकडों का संकलन अध्ययन क्षेत्र में अनुभाविक

एवं प्रश्नावली के माध्यम से तैयार किया गया हैं जबकि द्वितीयक आकड़ों का संकलन सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं एवं रिपोर्टों द्वारा किया गया हैं। द्वितीयक आकडों के प्राप्ति स्रोत–

1 भारतीय जनगणना, B-series वर्ष 1999–2001
2 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग (NNS)] 61st Round, Unit Level Data on Employment and Unemployment Situation in India 2004-05
3 सूचना केन्द्र, अलवर
4 सांख्यिकीय रूपरेखा विभाग, अलवर

बालश्रमिकों के प्रकार

भारत में बालश्रमिक विभिन्न कार्यों में लगें हुये हैं, कार्यों की प्रकृति अनुसार इनकों निम्न प्रकारों में बॉटा गया है:–

घरेलू श्रमिक

मानसिक तथा शारीरिक रूप से घरों के कार्यों में लगे बच्चों इस श्रेणी में आते हैं

बन्धुआ बालश्रमिक

बालश्रमिक कानून 1933 के अनुसार बच्चे जिन्हें उनके माता–पिता द्वारा फैक्ट्री के मालिकों या उनके ऐजेन्टों को कुछ राशि के लिए राशि के लिए बेच दिया जाता है। ये कृषि क्षेत्रों, कालीन बनाई, बाडी बनाई में रेशम उद्योगों में बधुआ बालश्रमिकों का कार्य करते हैं।

सैक्सुअल कार्यों में लगे बाल श्रमिक

उनमें लड़कियों की संख्या अधिक पाई जाती है। इस व्यवसाय में छोटी–छोटी लड़कियों को पकड़ कर ले जाया जाता है या फिर लड़कियॉ घरेलु परिस्थितियों व मजबूरियों के कारण इस व्यवसाय में धकेल दी जाती है। यहाँ पर इनका शारीरिक तथा मानसिक शोषण किया जाता हैं।

कृषि तथा औधोगिक बालश्रमिक

कृषि तथा औधोगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले 5–14 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही छोटे बच्चे कृषि कार्यों में परिवार का हाथ बंटाते आये हैं और आज भी बच्चे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं इसी प्रकार विभिन्न औधोगिक क्षेत्रों में भी काफी संख्या में बालश्रमिक कार्यरत हैं।

गली श्रमिक

शहरों तथा कस्बों की गलियों में कार्य करने वाले, बस तथा रेलों में, शॉपिंग सैन्टरों में तथा कचरा इक्ट्ठा करने वाले बालश्रमिकों को इस श्रेणी में रखा जाता है। ये बच्चें गन्दी बस्तियों तथा छोटे–छोटे घरों में रहते हैं व इनका सम्बन्ध बहुत गरीब परिवारों सें हैं जिनकी पारिवारिक दशा अच्छी नहीं हैं।

परिवार के लिए कार्य करने वाले बालश्रमिक

हर गरीब परिवार यह आशा करता है, कि उनके बच्चे उनकी आर्थिक दशा सुधारने तथा घर खर्च चलाने में उनकी सहायता करें घरों में भोजन पकाने का कार्य, पशुपालन कार्य, पानी की पैकिंग करने व अन्य छोटे–छोटे कार्यों में लगें बच्चे इस श्रेणी में आते हैं।

अलवर शहर में बाल श्रम की स्थिति

राजस्थान में सर्वाधिक बाल श्रमिक अलवर जिले में ही है अलवर दिल्ली के नजदीक है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है और यहां तीव्रगति से औद्योगिक विकास हुआ है जिस कारण भी बाल श्रमिको की संख्या में वृद्धि हुई है !

2001 की जनगणनानुसार अलवर के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का 14.53 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की संख्या 236984 तथा महिलाओं की संख्या 197955 है अलवर के नगरीय लिंगानुपात 835 है जो भारत तथा राजस्थान के नगरीय क्षेत्र से काफी कम है अलवर के नगरीय क्षेत्र में मुख्य श्रमिको की संख्या 121449 है जिसमें पुरूषों का प्रतिशत 88 तथा महिलाओं का प्रतिशत 12 है अलवर के नगरीय क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या पर श्रमिकों की संख्या 279 है। जो भारतीय स्तर से कम है जिसमें पुरूषों की संख्या 452 तथा प्रति हजार जनसंख्या पर महिला श्रमिकों की संख्या 73 है।

5–9 आयु वर्ग में अलवर के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 50679 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 27634 इस वर्ग में कुल श्रमिकों की संख्या 373 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 250 है जो कुल श्रमिकों का 67 प्रतिशत है, तथा महिलाओं की संख्या 123 है, जो कुल श्रमिकों का 33 प्रतिशत है इस आयु वर्ग में प्रति हजार जनसंख्या पर श्रमिकों की संख्या 7 है पुरूषों में यह 9 तथा महिलाओं में 5 है।

10–14 आयु वर्ग में अलवर के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 52101 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 28218 तथा महिलाओं की संख्या 23883 है। इस आयु वर्ग में कुल श्रमिकों की संख्या 1073 है, जो कुल जनसंख्या का 2.05 प्रतिशत है, कुल श्रमिकों में 64.4 प्रतिशत तथा 31.6 प्रतिशत महिलाऐ है। इस आयु वर्ग में प्रति हजार जनसंख्या पर श्रमिकों की संख्या 21 है, पुरूषों में यह 26 तथा महिलाओं में 14है।

अलवर शहर में विभिन्न आयु समूह में बाल श्रम, 2001

आयु वर्ग	कुल जनसंख्या			लिंगानुपात	कुल श्रमिक
	कुल	पुरूष	महिला		
कुल	434939	236984	197955	835	121449
5–9	50679	27634	23045	834	373
10–14	52101	28218	23883	846	1073

Data source: b-series census of India, 2001

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9443
Periodic Research

अलवर शहर में विभिन्न आयु वर्गों में बाल श्रम, 2001

आयु वर्ग	कुल श्रमिक		पुरूष		महिला		कुल श्रम में पुरूषों का प्रतिशत	कुल श्रम में महिलाओं का प्रतिशत
	कुल श्रमिक	प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति	कुल श्रमिक	प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति	कुल श्रमिक	प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति		
कुल	121449	279	107050	452	14399	73	88	12
5.9	373	7	250	9	123	5	67.0	33.0
10.14	1073	21	734	26	339	14	68.4	31.6
5.14 (कुल)	1446	14	948	18	462	10	68.0	32.0

Data Source b-series census of India, 2001

अलवर शहर में कुल बाल श्रमिकों में महिला और पुरूषो की स्थिति, 2001

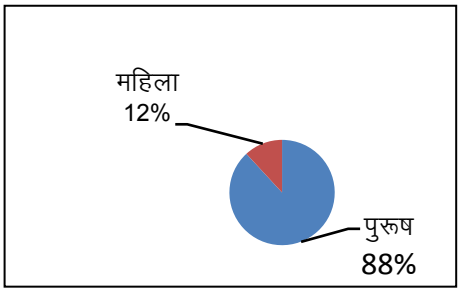

5 –14 आयु वर्ग पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इस आयु वर्ग में कुल जनसंख्या 102780 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 55852 तथा महिलाओं की संख्या 46928 है। इस आयु वर्ग में लिंगानुपात 840 है, जो कि कम है। इस वर्ग में कुल मुख्य श्रमिकों की संख्या 1446 है, जिसमें पुरूषों का प्रतिशत 68 तथा महिलाओं का प्रतिशत 32 है। इस आयु समूह में प्रति हजार जनसंख्या पर श्रमिकों की संख्या 14 है। पुरूषों में यह 18 तथा प्रति हजार जनसंख्या पर महिला श्रमिकों की संख्या 10 है। अलवर नगरीय क्षेत्र में 5–14 आयु समूह की जनसंख्या का 1.40 प्रतिशत भाग बालश्रम में लगा हुआ है।

राष्ट्रिय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा पूरे भारत में विभिन्न आयु समूहों में प्रतिचयन के आधार पर रोजगार सम्बन्धि आंकड़े एकत्रित किए गए। इनमें प्रतिचयन के आधार पर परिवारों का चयन किया गया। जिनमें बालश्रम सम्बन्धित आंकड़े भी एकत्रित किए गए। NSSO (National Sample Survey Organisation) के अनुसार अलवर शहरी क्षेत्र में बाल श्रम की स्थिति इस प्रकार है।

Usual Principal activity status	Frequency	Percent	Male	Female
Worked as casual wage labour	1	2-3	1	&
Attend educational institution	37	86-0	21	16
attended domestic duties only	2	4-7	1	1
begging, prostitution, etc.	3	7-0	1	2
Total	43	100	24	19

Data Source unit Level Data form NSS 61st Round of Employment and Unemployment Situation in India 2004-05

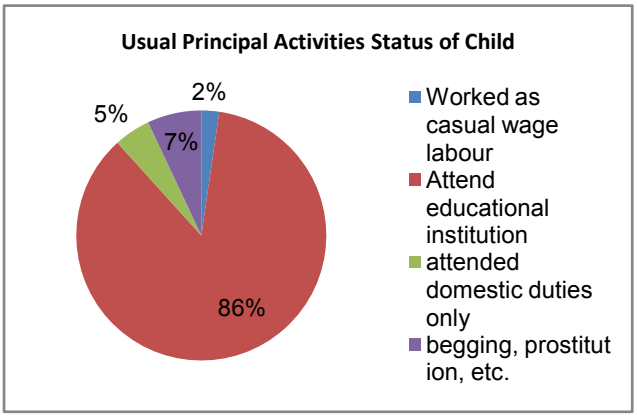

NSSO के द्वारा किये गये सैम्पल सर्वेक्षण में अलवर के शहरी क्षेत्र में 43 बच्चों का चयन किया गया। इनमें मजदूरों की संख्या 1 थी, जो पुरूष वर्ग में सम्मिलित है, तथा यह कुल का 2.3 प्रतिशत है। जो कुल बच्चे स्कूल जाते है। उनकी संख्या 37 है जो कुल का 86 प्रतिशत है। इनमें लड़कों की संख्या 21 तथा लड़कियों की संख्या 16 है। घरों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या 2 है, ये कुल का 4.7 प्रतिशत है। इनमें लड़कों की संख्या 1 तथा लड़कियों की संख्या भी 1 है। भीख मांगने तथा देह व्यापार सम्बन्धित कार्यों में लगे बाल श्रमिकों की संख्या 3 है, ये कुल का 7 प्रतिशत है। इनमें लड़कों की संख्या 1 तथा लड़कियों की संख्या 2 है। आँकड़ों के आधार पर कह सकते है कि भीख मांगने तथा देह व्यापार में लगे बाल श्रमिकों में लड़कियों की संख्या अधिक है।तथा देह

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9443
Periodic Research

Usual Principal activity status	Religion	
	Hinduism	jainism
Worked as casual wage laobour	1	-
Attend educational institution	36	1
attended domestic duties only	2	-
begging, prostitution, etc.	3	-

व्यापार में लगे बाल श्रमिकों में लड़कियों की संख्या अधिक है।

Data Source unit Level Data form NSS 61st Round of Employment and Unemployment Situation in India2004-05

धार्मिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो मजदूरी करने वालों (Casual Labour) में हिन्दुओं की संख्या 1 है, जो बच्चे स्कूल जाते है। उनमें 36 हिन्दु धर्म से तथा 1 जैन धर्म से सम्बन्धित है। घरों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या 2 है, और ये हिन्दू धर्म से सम्बन्धित है। भीख मांगने तथा देह व्यापार में लगे बाल श्रमिक जिनकी संख्या 3 है, हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं।

Usual Principal activity status	Social Group			
	ST	SC	OBC	Others
Worked as casual wage labour	1	-	-	-
Attend educational institution	9	2	9	17
attended domestic duties only	-	-	-	2
begging, prostitution, etc.	1	-	-	2

Data Source unit Level Data form NSS 61st Round of Employment and Unemployment Situation in India2004-05

Average Household Size (number of persons household)	Average Monthly Family income in rupees	Average House – hold Size (number of persons household)	Average Monthly per capita income in rupees
Worked as casual wage labour	3541.00	8.00	442.62
Attend educational institution	4618.11	6.22	742.44
attended domestic duties only	1800.50	5.50	327.36
begging, prostitution, etc.	2191.33	6.67	328.53
Total	4292.70	6.26	685.73

Data Source unit Level Data form NSS 61st Round of Employment and Unemployment Situation in India2004-05

बाल श्रमिक परिवारों में आय तथा परिवार के औसत आकार सम्बन्धित आँकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है, कि लिए गए 43 बच्चों के सैम्पल में इनकी औसत मासिक आय 4292.70 रूपये है, तथा प्रति व्यक्ति आय 685.73 रूपये है तथा इनके परिवारों का औसत आकार 6.26 व्यक्ति है।

विभिन्न कार्यों में लगे इन बच्चों की पारिवारिक आय तथा औसत आकार निम्न प्रकार है

मजदूरी करने वाले (Casual Labour) बाल श्रमिक परिवारों की औसत आय 3541 रूपये है, तथा प्रति व्यक्ति आय 442.62 रूपयें है, तथा परिवार का औसत आकार 8 व्यक्ति है। जो बच्चों स्कूल जाते हैं, उनमें परिवार की औसत आय 4618.11 तथा प्रति व्यक्ति आय 742.44 है, तथा परिवार का औसत आकार 6.22 है। घरों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों में परिवार की औसत मासिक आय 1800.5 रूपये तथा प्रति व्यक्ति आय 327.36 है, तथा परिवार का औसत आकार 5.50 व्यक्ति है। भीख माँगने तथा देह व्यापार सम्बन्धित कार्यों में लगे श्रमिक परिवारों की औसत मासिक आय 2191.33 तथा प्रति व्यक्ति आय 328.53 है, तथा परिवार का औसत आकार 6. 67 व्यक्ति है।

इस प्रकार आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि जिन परिवारों में बच्चे स्कूल जाते है, उन परिवारों की औसत मासिक आय तथा औसत प्रति व्यक्ति आय अन्य परिवारों से अधिक है, तथा इनके परिवार का औसत आकार भी छोटा है। अतः NSSO द्वारा बाल श्रमिकों पर किए गए सैम्पल सर्वे द्वारा पता चलता है, कि अलवर शहरी क्षेत्र में परिवारों की कम औसत आय बाल श्रम के लिए जिम्मेदार है।

बाल श्रम सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

भारत में बाल श्रम की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। यह भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, इस समय भी भारत के अधिकांश बच्चे खेतों, फैक्ट्रियों, घरों में तथा अनेक उद्योग धन्धों में काम करते हैं। भारत सरकार ने बाल श्रम से निजात पाने के लिये तथा बाल श्रमिकों के कल्याण के लिये समय–समय पर विभिन्न कानून तथा अधिनियम बनाये हैं, ये निम्न है :–

1881 का कारखाना अधिनियम

इस अधिनियम द्वारा 7 से 12 वर्ष की आयु के बालकों से 9 घण्टे से अधिक काम लेना अवैद्य घोषित कर दिया गया। इन 9 घण्टें में से एक घण्टे का विश्राम भी शामिल है।

1891 का कारखाना अधिनियम

9 से 14 वर्ष के बच्चों के काम के घण्टे कम करके उन्हें 7 घण्टे किया गया। इसके अलावा 9 वर्ष से

कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने पर रोक लगा दी गई।

1901 का कारखाना अधिनियम

इस अधिनियम में सरकार द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर लगाना अपराध माना गया।

1922 का कारखाना अधिनियम

इस अधिनियम में 15 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों को बाल श्रमिकों की श्रेणी में रखा गया तथा इनका उद्योगों में काम करने का समय 6 घण्टे कर दिया गया। बालकों से 4 घण्टे काम लेने के बाद आधा घण्टा विश्राम का नियम निर्धारित किया गया।

बाल अधिनियम, 1933

इसके अन्तर्गत 15 वर्ष की आयु के बच्चो को गिरवी रखने पर रोक लगा दी गई।

1934 का कारखाना अधिनियम

बाल श्रमिकों द्वारा काम करने का समय 5 घण्टे कर दिये गए। बच्चों को काम पर लगाते समय उनकी शारीरिक योग्यता का प्रमाण आवश्यक कर दिया गया।

1948 का कारखाना अधिनियम

बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष कर दी गई। प्रति 15 दिनों में 1 दिन की छुट्टी तथा सालभर में 14 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई तथा रात्री में बाल श्रमिकों से काम लेने पर रोक लगा दी गई।

1952 का भारतीय खान अधिनियम

18 वर्ष से कम आयु के बालकों का खान में नीचे काम करने पर रोक लगा दी गई।

बालश्रम कानून, 1986

कुछ रोजगारों जैस ज्वलनशील पदार्थ निर्माण, बीड़ी निर्माण उद्योग, डाक पर बालकों से काम लिया जाता है। उन्हें स्थानीय निरीक्षण को इसकी सूचना देनी पड़ती है तथा निर्धारित रजिस्टर रखना अनिवार्य है।

अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रम से सम्बन्धित समस्याऐं

1. स्वास्थ पर कुप्रभाव :बल श्रम एक सामाजिक बुराई है। यह बच्चों को स्वास्थ की दृष्टि से प्रभावित भी करती है। अलवर के कारखानों जिनमें विनिर्माण का कार्य होता है, इन कारखानों में लगे श्रमिकों अनेक बिमारियों से ग्रसित हो जाते है जैसे क्षय रोग, आंखें की बिमारिया, अस्थमा, बोनाकाइटिस इत्यादि।
2. शिक्षा में बाधा :अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रमिक अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण घर का खर्च चलाने के लिए बाल अवस्था में ही काम पर लग जाते हैं, जिससे वे शिक्षा गृहण नहीं कर पाते और शिक्षा का अधिकार मिलने पर भी वे शिक्षा से वंचित हर जाते हैं। इस प्रकार श्रम शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी रूकावट है। अध्ययन क्षेत्र में शोध से ज्ञात होता है, कि वो बच्चे बाल श्रम में लगे हुए है, उनमें शिक्षा का स्तर काफी कम है, तथा उनमें अधिकांश अशिक्षित है। अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक सर्वे द्वारा लिए गए प्रतिचयनों में से 87 प्रतिशत अशिक्षित है, जबकि केवल 13 प्रतिशत ही शिक्षित हैं और उनमें से भी 11 प्रतिशत ने केवल प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण की है और केवल 2 प्रतितशत ने मिडिल शिक्षा प्राप्त की है। अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रम में कार्यरत बच्चों में से 94 प्रतिशत बाल श्रमिक स्कूल छोड़ चुके हैं।
3. व्यक्तित्व के विकास में बाधा :बच्चों को कम उम्र में बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरूतीयों में धकेल दिया जाता है जिससे वे स्कूलों में नहीं जा पाते और शिक्षा से वंचित रहा जाते है फलस्वरूप उनके पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है।
4. कानूनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है :अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रमिकों में शिक्षा तथा जागरूकता के अभाव, उनकी छोटी आयु तथा कानूनों को सरकार द्वारा सही प्रकार से क्रियान्यवन नहीं होने के कारण बाल श्रमिकों को कानूनी लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। उन्हें 8 से भी अधिक घण्टे कारखानों में काम करना पड़ रहा है। जबकि यह कानून के खिलाफ है तथा औसत मे सभी कम मजदूरी दी जा रही है।
5. बाल श्रमिकों को असहनीय दशाओं में कार्य करना पड़ रहा है जिससे उनके स्वास्थय पर कुप्रभाव पड़ रहा है।
6. बच्चों से काम करवाने से उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। परन्तु मालिकों को योग्य श्रमिकों की तुलना में बाल श्रमिकों को कम रूपयें देने पड़ते है। जिससे उत्पादन की मात्रा व गुणवत्ता में गिरावट आ रही है।
7. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी बाल श्रमिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे केवल कागजों में ही चलाई जा रही है।

बाल श्रमिको के भावी विकास हेतु सुझाव

वर्तमान में बाल श्रम सम्बन्धित समस्या एक वैश्विक समस्या के रूप में खासकर पिछ़डे देशों में उभकर सामने आ रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिये निम्न उपाय सुझाये जा सकते हैं :–

1. हर व्यक्ति तथा स्वंय सेवी संस्थाओं को खुले मन से प्रयत्न करना होगा और पूंजीपतियों पर अंकुश लगाना होगा।
2. सरकार का अपने द्वारा बनाये गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
3. बाल मजदूरी के कारणों में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कम मजदूरी दर आदि प्रमुख है। अतः विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यक्रमों का सीधा लाभ बाल मजदूरों को दिलाने का प्रयास करना चाहिये।
4. ऐसे परिवार जो बाल मजदूरों की कमाई पर निर्भर हो ऐसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य, पोषाहार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कपड़े, गेहूं, चावल, करोसीन आदि सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
5. बाल श्रमिकों के पुनर्वास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

6. व्यवसाय में बाल श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण देकर स्थानीय ग्रामीण बैंकों से ऋण दिलवाकर उनकी स्थिति मजबूत की जानी चाहिए।
7. स्कूल के पाठ्यक्रमों में बालश्रम उन्मूलन अध्याय को शामिल किया जाना चाहिए तथा रोजगार परख शिक्षा दी जानी चाहिए।
8. सरकार द्वारा कम करने की स्थितियों में सुधार किया जाए।
9. न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा दी जाए।
10. विकास कार्यक्रम योजना का लाभ बाल श्रमिकों के परिवारों को दिया जाए।
11. असंगठित क्षेत्रों में बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाए।
12. बच्चों की रोटी, कपड़ा और मकान की अनिवार्य आवश्यकता सरकार द्वारा पूरी की जाए।
13. बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाये।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Hazan, M Berdugo B. (2002), “Child Labour, Fertility and Economic Growth”, The Economic Journal, Vol. 112, No. 482. (Oct.), pp. 810-828
2. Kak, Shakti (2004),”Magnitude and Profile of Child Labor in the 1990: Evidence from the NSS Data”, Social Scientist, Vol. 32, No. 1/2 (Jan.-Feb.), pp. 43-73.
3. Singh, A.N. (1990) ,”Child Labour in India”, Shirpa Publications, New Delhi.
4. Ahuja, R. ,(2001) Indian Social System, Rawat Publication, Jaipur.
5. Bezbaruah, S. and Janeja, M.K.,(2000), Adolescent in India- A profile UNFPA for UN System in India, New Delhi.
6. Bolton, EG. And Bolton, S.R., Working with Violent Families, Sage Publications, New York, 1987.
7. Burgess, R.L.,“ Child Abuse: A Social Interactional Analysis” in Advances in Clinical Child Psychology, Vol. 2, Plenum Press, New York, 1979.
8. Department of Family Welfare, Report., (1997) Reproductive and Child Healt Programme (RCHP) New Delhi.
9. Garbarino, J., “The Human Ecology of Child Maltreatment”, Journal of Marriage and the Family. 39(4), 1977.
10. Gardner and Gray in Feldman’s Criminal Behavior, Vol. II, John Wiley & Sons, New York, 1982.
11. Jejeebhoy, S.J., (1996), Adolescent Sexual and Reproductive Behaviour, A Review of Evidence from India.
12. Joshi, Uma, “Child Abuse: A Disgrace in Our Society”, The Hindustan Times, June 25, 1986.
13. N.S.S Survey Report., (1977-78 & 1983) National Sample Survey, New Delhi.
14. NCERT REPORT., (1999), Adolescence Educating in School (part-V) – 1999 National Council of Eductional Research and Training.
15. Social Welfare Statistical Report, (1981). Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.
16. Stauss, M.A., “Family Patterns and Child Abuse”, in Child Abuse and Neglect, 3, 1979.
17. United Nations., (2007), The Millennium Development Goals Report. United Nation, New York.
18. Wolfe, D.A., Child Abuse, Sage Publications, Beverly Hills, 1987.